मनमानी — मौके पर पहुंची सम्भागीय उड़नदस्ता टीम, यातायात किया बहाल

अवैध चेकिंग के भ्रम से ट्रक चालक ने लगाया हाइवे पर जाम

नवभारत,जबलपुर। सम्भागीय परिवहन उड़नदस्ता, जबलपुर द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान चेकिंग प्वाइंट पर एक ट्रक चालक द्वारा वाहन आड़ा खड़ा कर देने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। अचानक बने इस अवरोध के कारण मार्ग पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। सूचना लगते ही मौके पर उड़नदस्ता टीम ने पहुंचकर तत्काल हस्तक्षेप कर यातयात व्यवस्था बनाई और जाम खत्म कराया।

उड़नदस्ता टीम से मिली जानकारी के अनुसार जाम लगाने वाले चालक से कारण पूछा गया तो चालक कमलेश यादव

(निवासी बनारस), वाहन क्रमांक एमएच 48 सीबी 4619, ने बताया कि उसका 10,000 रूपये का ऑनलाइन चालान छपरा में हुआ था। जो कि आप लोगो ने किया है सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक जानकारी के कारण उसे यह भ्रम था कि ये अवैध चेकिंग चल रही है और अगर में वाहन को बीच रोड में जाम लगा दूँगा तो मेरी गाड़ी कभी कोई भी नहीं रोकेगा।

चालक के विरुद्ध की चालानी कार्यवाही

उड़नदस्ता टीम ने चालक को समझाया कि संबंधित चालान (छपरा) बिहार राज्य का है जो कि 3 फरवरी को हुआ है और वर्तमान में वह मध्यप्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में है, काफ़ी समझाइश के बाद चालक ने अपनी गलती स्वीकार की और वाहन को सीधा कर यातायात को सुचारु किया। नियमानुसार चालक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई एवं आवश्यक समझाइश देकर उसे छोड़ दिया गया।

भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास नहीं करें : उड़नदस्ता

सम्भागीय उड़नदस्ता प्रभारी राजेंद्र साहू ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट एवं भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा कानून एवं यातायात व्यवस्था का पालन करें। इस दौरान प्रभारी राजेंद्र साहू, परिवहन उप निरीक्षक अक्षय पटेल, परिवहन आरक्षक इम्तियाज हुसैन, पीयूष मरावी, आशुतोष मोधे, सारंगधर महाले, अशोक खापर्डे समस्त स्टॉफ मौजूद रहा।

सामाजिक विज्ञान के पेपर में 555 विद्यार्थी रहे अनुपस्थित

100 केंद्रों में हुई परीक्षा, नहीं बना कोई नकल प्रकरण

नवभारत, जबलपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हो रही दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में सोमवार को सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ, जिसमें 555 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। सहायक संचालक आर के बधान से मिली जानकारी के अनुसार यह परीक्षा भी जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मिलाकर 100 केंद्रों में आयोजित हुई, जिसमें कुल 23856 परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। लेकिन 23301 विद्यार्थियों ने ही यह परीक्षा दी है,जबकि 555 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित थे। इस पेपर में कोई भी नकल प्रकरण सामने नहीं आया है।

44 केंद्रों में हुई समाज शास्त्र की परीक्षा

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हो रही बोर्ड परीक्षा में सोमवार को बारहवीं कक्षा में भी समाज शास्त्र विषय की परीक्षा आयोजित हुई। सहायक संचालक आर के बधान ने बताया कि समाज शास्त्र विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2398 थी, जिसमें से 2256 विद्यार्थियों ने ही यह परीक्षा दी,जबकि 143 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित थे। इसके अलावा परीक्षा में कोई भी नकल प्रकरण नहीं बना है। जिला प्रशासन द्वारा इन सभी परीक्षाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

जबलपुर-छिंदवाड़ा होकर चलेंगी ट्रेनें, गोंदिया पैसेंजर रहेगी रद्द

जबलपुर, नवभारत। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल के गोंदिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म-4 पर वॉशेबल एप्रॉन अधोसंरचनात्मक कार्य हेतु नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए प्रस्तावित ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें निरस्त, मार्ग परिवर्तित एवं शॉर्ट टर्मिनेट ओरिजिनेट करने का निर्णय लिया गया है। जानकारी अनुसार 02 मई से 18 मई तक रीवा से चलने वाली गाड़ी संख्या 11754 रीवा-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन वाया जबलपुर-नैनपुर-छिंदवाड़ा होकर गंतव्य को जाएगी चलेगी। वही 03 मई से 19 मई तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन से चलने वाली गाड़ी संख्या 11753 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन-रीवा एक्सप्रेस ट्रेन वाया छिंदवाड़ा-नैनपुर-जबलपुर होकर गंतव्य को जाएगी चलेगी।

आंशिक रूप से निरस्त ट्रेनें

मालूम हो कि गाड़ी संख्या 51707 जबलपुर-गोंदिया पैसेंजर ट्रेन 03 मई से 22 मई तक बिरसोला स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा बिरसोला से गोंदिया के मध्य निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 51708 गोंदिया-जबलपुर पैसेंजर ट्रेन 03 मई से 22 मई तक बिरसोला रेलवे स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा गोंदिया से बिरसोला के मध्य निरस्त रहेगी।

83 लाख का घपला : 23 पर जबलपुर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर

नपा अध्यक्ष, सीएमओ, राजस्व अधिकारी, पार्षदों को बनाया आरोपी

जबलपुर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने दुकानों की नीलामी एवं किराये की राशि जमा न कराकर लगभग 83 लाख रुपये की शासन को चपत लगाने के मामले में नगर परिषद लखनादौन की अध्यक्ष, सीएमओ, राजस्व अधिकारी एवं पार्षदों सहित 23 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों ने आरक्षित वर्ग की दुकान, अनारक्षित को आवंटित कर धोखाधड़ी की है। जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर में एक शिकायत पहुंची थी जिसमें आरोप लगाया था कि नगर पालिका परिषद लखनादौन जिला सिवनी में सीएमओ एवं अध्यक्ष के द्वारा मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग कर शापिंग काम्प्लेक्स में निर्मित दुकानों की नीलामी उपरांत दुकानदारों से प्रीमियम भुगतान की पूरी राशि लिए बिना ही दुकाने संबंधितों को सुपुर्द कर आरक्षित वर्ग की दुकानों को भी सामान्य वर्ग के लोगों को आवंटित कर शासन को आर्थिक क्षति कारित की गई है। ईओडब्ल्यू की जांच में पाया गया कि नगर परिषद लखनादौन ने 8 शॉपिंग काम्प्लेक्स में 75 दुकानें निर्मित कराने एवं नीलामी के लिए निविदा की कार्यवाही की गई थी। सभी दुकानों की उच्चतम बोलियों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। नीलामी के दौरान ही दुकानों के आरक्षण का नियम भी लागू किया गया था आरक्षण रोस्टर में प्रत्येक काम्प्लेक्स में कौन से नम्बर की दुकान आरक्षित होगी यह निर्धारित की गई थी। नियमों के अनुसार 21 दिन के भीतर नीलामी की 25 प्रतिशत की राशि जमा की जाना थी और शेष राशि निविदा दर की अंतिम स्वीकृति के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 120 दिन के अंदर जमा की जाना चाहिए थी। इसके बाद परिषद को संबंधित हितग्राही से एक अनुबंध तैयार किया जाना था जिसमें नगर परिषद द्वारा दुकान की प्रति माह लिए जाने वाली किराये की राशि का भी वर्णन होता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा दुकानदारों से मिलीभगत कर बिना अनुबंध किये एवं नीलामी की बोली की पूरी राशि जमा कराये बिना ही दुकानदारों को दुकानों का कब्जा दे दिया है।

ऐसा रहा फर्जीवाड़ा

ईओडब्ल्यू की जांच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद लखनादौन के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजेन्द्र पाण्डे एवं गीता वाल्मीक, राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षक रवि झारिया के द्वारा दुकानदारों, भागचद्र अहिरवार, तेजस्व जैन, शेलेन्द्र उर्फ सोनू यादव, सीमा गोल्हानी, संगीता गोल्हानी, बुलबुल जैन , खूबचंद चैकसे, सतीश उड़के, देवेन्द्र राय श्रीवास्तव, सतेन्द्र विश्वकर्मा, गणेश पटेल, विकास नामदेव, शिवप्रसाद गोल्हानी से मिलीभगत कर पद का दुरूपयोग कर दुकानदारों से नीलामी की राशि वसूल किए बिना एवं अनुबंध किए बिना ही दुकानदारों को दुकानों का कब्जा दिया जिसमें दुकानें संचालित हो रही है एवं जिससे शासन को लगभग 83 लाख रुपये की क्षति कारित हुयी है। नगर पालिका परिषद लखनादौन की प्रेसिडेंट इन काउंसिल अध्यक्ष मीणा बलराम गोल्हानी, सदस्य देवकी शिवकुमार झारिया, संगीता संजय गोल्हानी, वर्षा श्रीकांत गोल्हानी, अनीता संदीप जैन, सविता गोलू कुमरे एवं तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री गीता वाल्मीक के द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का उलंघन कर आरक्षित दुकान क्रमांक 7 का आवंटन बदलकर इसे आरक्षित से अनारक्षित करके बिना इस दुकान की पुर्ननीलामी कराये ही उसे सामान्य वर्ग के व्यक्ति वैभव दुबे को लाभ पहुंचाया।

5 करदाताओं के खिलाफ हुई कुर्की की कार्रवाई

नवभारत,जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर नगर निगम द्वारा संभागवार एवं वार्डवार वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिन करदाताओं के द्वारा बार-बार सूचना देने के बाद भी बकाया करों की राशि जमा नहीं की जा रही है, उन सभी करदाताओं के विरूद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम की राजस्व टीम ने संभाग स्तरीय सदस्यों के सहयोग से भानतलैया संभाग में प्रभावी कार्यवाही की। जिसमें संभाग क्रमांक 8 भानतलैया अंतर्गत हनुमानताल, खेरमाई एवं राधाकृष्णन वार्ड में वसूली अभियान चलाया गया, जिसमें नारायण दास पर 4 लाख 17 हजार 75 रूपये, रेखा मोतयानी पर 35 हजार 1 सौ 46 रूपये, दुलारे प्रसाद पर 50 हजार 1 सौ 19, सुषमा पर 1 लाख 51 हजार 8 सौ 85, एवं शौकत उल्ला पर 1 लाख 83 हजार 4 सौ 1 रूपये बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई की गयी तथा खेरमाई वार्ड से 1 लाख रूपये का चैक प्राप्त किया। कार्यवाही के समय संभागीय अधिकारी महेन्द्र पाल सिंह उइके, राजस्व निरीक्षक देवनाथ राठौर, टी.सी. अरविंद सिंह, निखार मिश्रा, अफजाल अजीम, संदीप साहू, रामेश्वर दुबे, गुलाम अंबिया, ठाकुर प्रसाद, उमेश राजपूत, विजय सहित राजस्व टीम मौजूद रही।